

मध्यप्रदेश विधान सभा

ऐसा विषय जो औचित्य का प्रश्न नहीं है, को उठाने के बारे में सूचना

भोपाल, दिनांक 20

प्रेषक :—

श्री

सदस्य, विधान सभा.

प्रेषिती :—

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल.

महोदय,

मैं, विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम २६७-क के अधीन आज दिनांक को सदन की जानकारी में निम्नलिखित विषय लाने की सूचना देता हूँ और अध्यक्ष महोदय से उसे उठाने की सम्मति प्रदान करने का अनुरोध करता हूँ।

संक्षिप्त विषय :

यदि अनुमति दी गई तो मैं निम्नलिखित वक्तव्य दूंगा :—

भवदीय,

सदस्य विधान सभा.

(क्षेत्र क्रमांक)

सचिवालय की टिप्पणी और माननीय अध्यक्ष का विनिश्चय